Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ एवं तहसीलदार द्वारा 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का प्रकरण**
- **ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने पर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा परिवादी से मारपीट एवं एसीबी टीम से की अभद्रता, परिवादी का मोबाईल छीना, जिसके संबंध में पृथक् से आपराधिक मामला दर्ज कराया जा रहा है**
- **एसीबी द्वारा मामले में रिश्वत मांग का प्रकरण दर्ज किया जावेगा**

जयपुर, *18 दिसम्बर, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा शहर इकाई द्वारा आज मांडलगढ़, भीलवाड़ा में महेश गगोरिया उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़ एवं राहुल धाकड़ तहसीलदार, तहसील मांड़लगढ़ जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध शिकायत सत्यापन के पश्चात परिवादी से **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांगने के प्रकरण में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपियों को एसीबी कार्यवाही की भनक लगने के कारण ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी। प्रकरण में एसीबी द्वारा रिश्वत मांग का प्रकरण दर्ज किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा शहर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांड़लगढ़ में लम्बित राजस्व वाद में अस्थाई निषेद्याज्ञा को स्थाई करवाने की एवज में महेश गगोरिया उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़ द्वारा राहुल धाकड़ तहसीलदार, तहसील मांड़लगढ़ जिला भीलवाड़ा के माध्यम से **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कल्याणमल मीणा** के सुपरवीजन में एसीबी कोटा शहर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री देशराज गुर्जर** उनके द्वारा मय टीम के मांड़लगढ़, भीलवाड़ा में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। कार्यवाही के दौरान एसीबी टीम की भनक लगने पर आरोपी महेश गगोरिया पुत्र श्री भैरूलाल रैगर निवासी शिव कुटीर, शास्त्रीनगर, राजसमंद हाल उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़ एवं राहुल धाकड़ तहसीलदार, तहसील मांड़लगढ़ जिला भीलवाड़ा द्वारा परिवादी से मारपीट की तथा उसका मोबाईल छीन लिया। आरोपियों द्वारा एसीबी टीम के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ अभद्रता की, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में राजकार्य में बाधा का प्रकरण पृथक से दर्ज करवाया जा रहा है। मामले में आरोपियों के विरूद्ध एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत रिश्वत मांग का प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल-फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135-02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।